माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष

याचिका संख्या /2014

निम्नलिखित के विषय में:

चमेरा-।।। पावर स्टेशन के संबंध में 2014-19 की अवधि के लिए प्रशुल्क (टैरिफ) के निर्धारण हेतु केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन), विनियमावली, 1999 के विनियम 79(1) और 86, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1)(क) और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियामवली, 2014 के विनियम 7(3) और 14 के अंतर्गत याचिका।

याचिकाकर्ता :

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद - 121 003

प्रतिवादीगण :

1. अध्यक्ष,
   पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड और 13 अन्य
   दॅ माल, निकट कालीबाडी मंदिर,
   पटियाला - 147 001 (पंजाब)

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	अनुक्रमणिका पृष्ठ	
2.	शपथ-पत्र	
3.	आवेदनपत्र	
4.	**अनुबंध-। :** केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2014 में यथाविनिर्धारित	

	फार्म 1 से 16	
5.	**अनुबंध-II :** 2014-19 के दौरान अतिरिक्त व्यय के संबंध में दिनांक 07.07.2014 को हुई निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति	
6.	**अनुबंध-III :** 2014-15 के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु आवेदनपत्र के लिए शुल्कों के भुगतान के समर्थन में दिनांक 29.04.2014 का पत्र	

एनएचपीसी लिमिटेड

(ए.के. पांडे)
मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक)
के माध्यम से

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 13.08.2014

10 रुपए का भारतीय गैर-न्यायिक स्टांप पेपर

हरियाणा **34एए 265191**

<u>माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष</u>

याचिका संख्या /2014

निम्नलिखित के विषय में:

चमेरा-।।। पावर स्टेशन के संबंध में 2014-19 की अवधि के लिए प्रशुल्क (टैरिफ) के निर्धारण हेतु केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन), विनियमावली, 1999 के विनियम 79(1) और 86, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1)(क) और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियामवली, 2014 के विनियम 7(3) और 14 के अंतर्गत याचिका ।

याचिकाकर्ता :
एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद - 121 003

प्रतिवादीगण :

1. अध्यक्ष,
   पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड और 13 अन्य
   दॅ माल, निकट कालीबाडी मंदिर,
   पटियाला - 147 001 (पंजाब)

याचिका का सत्यापन करने के लिए शपथ-पत्र

मैं, ए.के. पांडे, सुपुत्र श्री पी.एन. पांडे, आयु 55 वर्ष, एनएचपीसी लिमिटेड में मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक) के रूप में कार्यरत, उपर्युक्त मामले में आवेदक, सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित प्रतिज्ञान और कथन करता हूं:

1. मैं एनएचपीसी लिमिटेड में मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक) के रूप में कार्यरत हूं और उपर्युक्त मामले के तथ्यों से भली भांति परिचित हूं।

2. इस याचिका में किए गए कथन मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और उपलब्ध दस्तावेजों/अभिलेखों और/या प्रबंधन के अनुमोदन पर आधारित हैं।

13 अगस्त, 2014 को फरीदाबाद में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया कि उपर्युक्त शपथ-पत्र की विषय-वस्तु मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है, इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और उसमें से कोई सारवान बात छिपाई नहीं गई है।

अभिसाक्षी

मेरे समक्ष शनाख्त की गई

माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष

याचिका संख्या /2014

निम्नलिखित के विषय में:

चमेरा-III पावर स्टेशन के संबंध में 2014-19 की अवधि के लिए प्रशुल्क (टैरिफ) के निर्धारण हेतु केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन), विनियमावली, 1999 के विनियम 79(1) और 86, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1)(क) और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियामवली, 2014 के विनियम 7(3) और 14(3) के अंतर्गत याचिका

और

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद - 121 003 **..... याचिकाकर्ता**

प्रतिवादीगण :

1. अध्यक्ष,
   पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड
   दॅ माल, निकट काली बाड़ी मंदिर
   पटियाला - 147 001 (पंजाब)

2. अध्यक्ष
   हरियाणा विद्युत जनोपयोगी सेवाएं (यूएचबीवीएनएल और डीएचबीवीएनएल),
   शक्ति भवन, सेक्टर–6, पंचकूला (हरियाणा)

3. अध्यक्ष
   उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड
   शक्ति भवन, 14, अशोक मार्ग,
   लखनऊ-226001 (उत्तर प्रदेश)

4. मुख्य अभियंता एवं सचिव,
   इंजीनियरी विभाग, पहली मंजिल,
   यूटी सचिवालय, सेक्टर-9डी,
   चंडीगढ़-160009

5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   उत्तरी दिल्ली विद्युत लिमिटेड,
   उप-स्टेशन बिल्डिंग,

6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड,
   शक्तिकिरण बिल्डिंग,

हडसन लेन, किंग्सवे कैम्प,
दिल्ली-110009

कडकडडूमा,
दिल्ली

7. अध्यक्ष
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरआरवीपीएनएल), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. (जेपीवीवीएनएल), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.(जेडीवीवीएनएल) अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. (एवीवीएनएल), विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर,
जयपुर-302 005 (राजस्थान)

8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड,
बीएसईएस भवन,
नेहरु प्लेस,
नई दिल्ली–110019

9. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड,
ऊर्जा भवन, कंवली रोड,
देहरादून-248001 (उत्तराखंड)

10. प्रबंध निदेशक,
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर-302005

11. प्रबंध निदेशक,
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पुराना पावर हाउस,
हाथी भट्ठा, जयपुर रोड,
अजमेर -305 001 (राजस्थान)

12. प्रबंध निदेशक,
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, नया पावर हाउस, औद्योगिक क्षेत्र,
जोधपुर - 342003 (राजस्थान)

13. प्रधान सचिव,
विद्युत विकास विभाग, नया सचिवालय, जम्मू(जम्मू एवं कश्मीर)

14. अध्यक्ष,
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड,
विद्युत भवन, कुमार हाउस,
शिमला -171004 (हिमाचल प्रदेश)

<u>आवेदक द्वारा सादर निवेदन किया जाता है कि:</u>

1. एनएचपीसी लिमिटेड, जिसे इसमें आगे 'एनएचपीसी' कहा गया है, कंपनी अधिनियम, 1956 के अर्थ में भारत सरकार की एक कंपनी है। इसके अलावा,

यह, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2(28) के अंतर्गत यथापरिभाषित एक 'उत्पादन कंपनी' है।

2. हिमाचल प्रदेश (हि.प्र.) राज्य में स्थित चमेरा-।।। पावर स्टेशन [जिसे इसमें आगे 'चमेरा-।।।'/'पावर स्टेशन') (3X77 = 231 मेगा वाट) कहा गया है] 04.07.2012 को वाणिज्यिक प्रचालनाधीन घोषित कर दिया गया है।

3. एनएचपीसी ने चमेरा-।।। का निर्माण किया है और इसके वाणिज्यिक प्रचालन के आरंभ से इसका प्रचालन तथा अनुरक्षण कर रहा है। इस पावर हाउस से उत्पादित विद्युत की आपूर्ति, उत्तरी क्षेत्र में विभिन्न थोक विद्युत लाभग्राहियों/ ग्राहकों/ उत्तरवर्ती जनोपयोगी सेवाओं को अर्थात इसमें दिए गए प्रतिवादियों को उनके साथ हस्ताक्षर किए गए विद्युत खरीद करार (पीपीए)/बीपीएसए के अनुसार की जा रही है।

4. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 में, किसी उत्पादन कंपनी द्वारा किसी वितरण लाइसेंसधारी को विद्युत की आपूर्ति के लिए समुचित आयोग द्वारा प्रशुल्क के निर्धारण का उपबंध है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(क) के अंतर्गत माननीय आयोग में यह क्षेत्राधिकार निहित है कि वह केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित या उसके स्वामित्व वाली उत्पादन कंपनियों का प्रशुल्क विनियमित करे।

5. माननीय आयोग ने, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2009 और उसके उत्तरवर्ती संशोधनों के अनुसार याचिका संख्या 26/जीटी/2013 (तत्कालीन डॉकेट सं. 22/जीटी/2011) में दिनांक 13.08.2012 के अपने आदेश के अंतर्गत प्रशुल्क अवधि 01.07.2012 से 31.03.2014 तक के लिए चमेरा-।।। का अंतिम प्रशुल्क निर्धारित किया है। वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन तारीख को यथास्थिति संशोधित प्रशुल्क याचिका सं. 26/जीटी/2013 पहले ही अलग से दायर कर दी गई है।

6. वर्तमान प्रशुल्क याचिका में विचारित दिनांक 31.03.2014 को यथास्थिति 2042.41 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत, संशोधित याचिका संख्या 26/जीटी/2013 में दी गई पूंजीगत लागत पर आधारित है।

7. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 और इस संबंध में समर्थकारी सभी अन्य शक्तियों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय आयोग ने दिनांक 21.02.2014 को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2014 जारी की, जो 01.04.2014 से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू है।

8. वर्तमान याचिका, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2014 में यथाविनिर्धारित प्रशुल्क दाखिल करने के फार्म 1 से 16 में और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निर्धारण, प्रकाशन और अन्य संबंधित मामलों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया) विनियमावली, 2004 के अनुसार दायर की जा रही है।

9. वर्तमान प्रशुल्क याचिका, केंद्रीय विद्युत विनियामक विनियमावली, 2014 के विनियम 7 और 14 के अनुसार तैयार की गई है, जो निम्नलिखित रूप में उद्धृत की जाती है:

"7.(3) संसूचन प्रणाली या उसके घटक सहित वर्तमान उत्पादन केंद्र या संचरण प्रणाली के मामले में आवेदन, 31.03.2014 तक पहले ही स्वीकार किए गए किसी अतिरिक्त पूंजीगत व्यय (या तो वास्तविक या प्राक्कलित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय (या तो ***वास्तविक*** *या* ***प्रक्षेपित*** *अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के आधार पर) और 2014-15 से 2018-19 तक की प्रशुल्क अवधि के संबंधित वर्षों के लिए अनुमानित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय सहित स्वीकार की गई पूंजीगत लागत के आधार पर इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से अधिक से अधिक 180 दिन के अंदर किया जाएगा।"*

*"14. **अतिरिक्त पूंजीकरण और विपूंजीकरण:***

*(1) **वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात** और **विच्छेदन तारीख तक, कार्य के मूल दायरे के अंदर** निम्नलिखित कारणों से किया गया या किए जाने के लिए प्रक्षेपित नई परियोजना या वर्तमान परियोजना **के संबंध में पूंजीगत व्यय** विवेकपूर्ण जांच की शर्त के अधीन आयोग द्वारा स्वीकार किया जा सकता है:*

(i) किसी भावी तारीख को भुगतानयोग्य होने के लिए मान्यताप्राप्त अनुन्मोचित देयताएं;

(ii) निष्पादन के लिए आस्थगित निर्माण कार्य;

(iii) विनियम 13 के उपबंधों के अनुसार कार्य के मूल दायरे के अंदर आरंभिक पूंजीगत हिस्सों-पुर्जों का प्रापण;

(iv) किसी न्यायालय के आदेश या डिक्री के अनुपालन के लिए या मध्यस्थता के अवार्ड को पूरा करने के लिए देयताएं; और

(v) किसी वर्तमान कानून का अनुपालन या कानून में परिवर्तन:

बशर्ते कि किसी भावी तारीख को भुगतानयोग्य होने के लिए मान्यताप्राप्त व्यय देयताओं, के आकलनों के साथ-साथ कार्य के मूल दायरे में शामिल किए गए परिसंपत्ति-वार/कार्य-वार निर्माण कार्य और निष्पादन के लिए आस्थगित निर्माण कार्य के ब्योरे प्रशुल्क के निर्धारण हेतु आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे।

*(2) **विच्छेदन तारीख के पश्चात कार्य के मूल दायरे के अंदर** निम्नलिखित कारणों से नई परियोजना के संबंध में किए गए या किए जाने के लिए प्रक्षेपित पूंजीगत व्यय विवेकपूर्ण जांच की शर्त के अधीन आयोग द्वारा स्वीकार किया जा सकता है:*

(i) *किसी न्यायालय के आदेश या डिक्री के आदेश के अनुपालन के लिए या मध्यस्थता के अवार्ड को पूरा करने के लिए देयताएं;*

(ii) *किसी वर्तमान कानून का अनुपालन या कानून में परिवर्तन;*

(iii) *कार्य के मूल दायरे में राख के तालाब या राख हैंडलिंग प्रणाली से संबंधित आस्थगित निर्माण कार्य; और*

(iv) *ऐसी अनुन्मोचित देयता पैकेज की कुल अनुमानित लागत के ब्योरों की विवेकपूर्ण जांच के पश्चात विच्छेदन तारीख से पहले निष्पादित निर्माण कार्यों के लिए कोई देयता, इस प्रकार भुगतान रोकने और भुगतान जारी करने आदि के कारण।*

*"14.(3)**विच्छेदन तारीख के पश्चात** निम्नलिखित कारणों से, किया गया या किए जाने के लिए प्रक्षेपित, संसूचन प्रणाली सहित वर्तमान उत्पादन केंद्र या संचरण प्रणाली के संबंध में **पूंजीगत व्यय** विवेकपूर्ण जांच की शर्त के अधीन आयोग द्वारा स्वीकार किया जा सकता है:*

(i) *किसी न्यायालय के आदेश या डिक्री के अनुपालन के लिए या मध्यस्थता के अवार्ड को पूरा करने के लिए देयताएं;*

(ii) *किसी वर्तमान कानून का अनुपालन या कानून में परिवर्तन;*

(iii) *राष्ट्रीय सुरक्षा/आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सांविधिक प्राधिकरणों की समुचित सरकारी एजेंसियों द्वारा दी गई सलाह या निर्देश के अनुसार संयंत्र की सुरक्षा और उच्चतर सुरक्षा की आवश्यकता के कारण किए जाने वाले कोई खर्च;*

(iv) *कार्य के मूल दायरे में राख के तालाब या राख हैंडलिंग प्रणाली से संबंधित आस्थगित निर्माण कार्य;*

(v) *ऐसी अनुन्मोचित देयता, पैकेज की कुल अनुमानित लागत के ब्योरों की विवेकपूर्ण जांच के पश्चात विच्छेदन तारीख से पहले निष्पादित किए गए निर्माण कार्य के लिए कोई देयता, इस प्रकार भुगतान रोकने और ऐसे भुगतान जारी करने आदि के कारण;*

(vi) *वास्तविक भुगतानों द्वारा ऐसी देयताओं के उन्मोचन करने की सीमा तक विच्छेदन तारीख के पश्चात आयोग द्वारा स्वीकार की गई निर्माण कार्य की कोई देयता;*

(vii) *कोई ऐसा अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, जो कोयला/लिग्नाइट आधारित स्टेशनों या संचरण प्रणाली, जैसा भी मामला हो, के अलावा उत्पादन केंद्र के दक्ष प्रचालन के लिए आवश्यक हो गया हो। इस दावे की पुष्टि दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा विधिवत समर्थित तकनीकी औचित्य से की जाएगी जैसे परिसंपत्तियों के नष्टीकरण के मामले में किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किए गए परीक्षण के परिणाम, प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति के मामले में किसी स्वतंत्र एजेंसी की रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी का अप्रचलन, तकनीकी कारण से क्षमता का उन्नयन जैसे दोष के स्तर में वृद्धि;*

(viii) *हाइड्रो उत्पादन केंद्रों के मामले में कोई ऐसा व्यय, जो प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हुई क्षति के कारण (परंतु उत्पादन कंपनी की लापरवाही के कारण माने जा सकने वाले, पावर हाउस के आप्लावन के कारण न हो) और किसी बीमा योजना से प्राप्त बिक्री की धनराशि का समायोजन करने के पश्चात भू-गर्भीय कारणों से आवश्यक हो गया है और किसी अतिरिक्त कार्य के कारण किया गया खर्च, जो सफल और दक्ष संयंत्र प्रचालन के लिए आवश्यक हो गया हो।*

(ix) *संचरण प्रणाली के मामले में, रिलेज, नियंत्रण और इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर प्रणाली, पावर लाइन कैरियर संसूचन, डी सी बैटरियां, प्रौद्योगिकी के अप्रचलन के कारण प्रतिस्थापन, दोष के स्तर में*

वृद्धि के कारण स्विच यार्ड उपकरण का प्रतिस्थापन, टावर का सशक्तीकरण, संसूचन उपकरण, आपातकालिक पुनर्स्थापन प्रणाली, इंसुलेटर अवसंरचना, पॉलिमर इंसुलेटरों से पोर्सेलेन इंसुलेटर का प्रतिस्थापन, बीमा द्वारा कवर न किए गए क्षतिग्रस्त उपकरण का प्रतिस्थापन जैसी मदों पर किया गया कोई अतिरिक्त व्यय और कोई अन्य व्यय, जो संचरण प्रणाली के सफल और दक्ष प्रचालन के लिए आवश्यक हो गया हो; और

(x) *उत्पादन केंद्र के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के परिणामस्वरूप थर्मल उत्पादन केंद्र के संबंध में पूर्ण कोयला संबद्धता के अनुरूप कोयले की आपूर्ति को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण उत्पन्न ईंधन प्राप्ति प्रणाली में अपेक्षित या किए गए संशोधनों के कारण आवश्यक विवेकपूर्ण जांच के पश्चात न्यायोचित पाया गया कोई पूंजीगत व्यय।*

बशर्ते कि विच्छेदन तारीख के पश्चात लाए गए औज़ारों और साज-सामान, फर्नीचर, एयरकंडीशनरों, वोल्टेज स्टैबिलाइजरों, रेफ्रिजरेटरों, कूलरों, कंप्यूटरों, पंखों, वाशिंग मशीनों, हीट कनवेक्टरों, गद्दों, कालीनों आदि सहित परिसंपत्तियां या लघु मदें प्राप्त करने पर हुए किसी खर्च को 01.04.2014 से प्रशुल्क के निर्धारण के लिए कोई अतिरिक्त पूंजीकरण नहीं माना जाएगा।

बशर्ते यह भी कि कोयला/लिग्नाइट आधारित स्टेशन के मामले में ऊपर (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट स्वरूप के व्यय के अलावा, किसी पूंजीगत व्यय की पूर्ति मुआवजा भत्ते से की जाएगी।

बशर्ते यह भी कि यदि किसी व्यय का दावा पुनरुद्धार; और आधुनिकीकरण (आर एंड एम), ओ एंड एम व्यय के अंतर्गत मरम्मत और रखरखाव तथा मुआवजे भत्ते के अंतर्गत किया गया है तो इस व्यय का दावा इस विनियम के अंतर्गत नहीं किया जा सकता।''

10. इस याचिका में विचारित प्रशुल्क वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए प्रक्षेपित पूंजीगत व्यय के ब्योरे **अनुबंध-I** के **फार्म-9क** में दिए गए हैं।

11. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2014 पर आधारित 01.04.2014 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए चमेरा-III के संबंध में परिकलित वार्षिक निर्धारित लागत (एएफसी) निम्नलिखित है: **(अनुबंध-I** का **फार्म-1** देखें)।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
एएफसी	404.7	406.98	406.37	404.38	404.94

12. उपर्युक्त प्रशुल्क प्रस्ताव, उत्पादन केंद्रों से जुड़े और/या संचरण प्रणाली पर होने वाली इसकी संस्थापनाओं में से किसी संस्थापना के संबंध में और/या विद्युत/ऊर्जा की आपूर्ति पर या जल, विद्युत के संचरण, पर्यावरणीय संरक्षण, बिक्री सहित किसी अन्य प्रकार की खपत या अतिरिक्त खपत सहित विद्युत के उत्पादन के संबंध में किसी सरकार (केंद्र या राज्य) और/या किसी अन्य स्थानीय निकायों/ प्राधिकरणों/ विनियामक प्राधिकरणों द्वारा प्रभारित/ लगाए गए किसी अन्य प्रकार के किसी सांविधिक करों, उद्ग्रहणों, शुल्कों, उप-कर को छोड़कर हैं।

13. ऊपर यथाउल्लिखित उपर्युक्त करों/ शुल्कों/ उप-कर/ उद्ग्रहणों की बाबत किसी भी महीने में संबंधित प्राधिकरणों को एनएचपीसी द्वारा भुगतानयोग्य ऐसे करों/ शुल्कों/ उप-कर /उद्ग्रहणों आदि की धनराशि का वहन और अतिरिक्त रूप से भुगतान प्रतिवादियों द्वारा एनएचपीसी को किया जाएगा और यह उनके द्वारा भुगतानयोग्य वार्षिक क्षमता प्रभारों के अनुपात में प्रतिवादियों द्वारा भुगतानयोग्य होगा।

14. वर्ष 2014-15 के लिए याचिका दायर करने का शुल्क, जो **₹10,16,400/-** है, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क का भुगतान) विनियमावली, 2012के अनुसार यूटीआर सं.एसबीआईएन814118294517 के जरिए पहले ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरित कर दिया गया है और दिनांक 29.04.2014 के पत्र के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग को सूचित कर दिया गया है। पत्र की प्रति **अनुबंध-।।।** के रूप में संलग्न है।

15. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निर्धारण, प्रकाशन और अन्य संबंधित मुद्दों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया) विनियमावली, 2004 के अनुसार, समाचारपत्रों में नोटिसों के प्रकाशन पर हुए वास्तविक खर्च की लाभग्राहियों/ प्रतिवादियों से वसूली की अनुमति प्रदान की जाए।

<u>प्रार्थना</u>

1. 01.04.2014 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए चमेरा-।।। जल विद्युत परियोजना का प्रशुल्क विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1)(क) के अंतर्गत और 21.02.2014 को जारी की गई केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2014 के अनुसार निर्धारित किया जाए।
2. वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए चमेरा-।।। पावर स्टेशन के वार्षिक निर्धारित भार, जो प्रशुल्क दायर करने के फार्म-1 के अनुसार क्रमश: **404.60 करोड़ रुपए, 406.98 करोड़ रुपए, 406.37 करोड़ रुपए, 404.38 करोड़ रुपए** और **404.94 करोड़ रुपए हैं,** केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2014 में माननीय आयोग द्वारा पहले ही अधिसूचित तरीके से प्रतिवादियों द्वारा भुगतान के लिए बिल दिए जाने की अनुमति प्रदान की जाए।
3. एनएचपीसी को यह अनुमति प्रदान की जाए कि वह ऊपर **पैरा-13** में यथाउल्लिखित उद्ग्रहणों, करों, शुल्कों, उप-कर, प्रभारों, फीस आदि, यदि कोई है, के लिए प्रतिवादियों को बिल दें।
4. **पैरा-14** में यथाउल्लिखित इस याचिका को दायर करने के शुल्क की प्रतिपूर्ति की अनुमति प्रदान की जाए।
5. **पैरा-15** में यथाउल्लिखित 2014-19 की अवधि के लिए प्रशुल्क के आवेदनपत्र में नोटिसों के प्रकाशन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की अनुमति प्रदान की जाए।
6. ऐसा अन्य और अगला/अगले आदेश पारित किया जाए/किए जाएं, जो इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे जाएं।

एनएचपीसी लिमिटेड

(ए.के. पांडे)
मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक)
के माध्यम से

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 13.08.2014